न्यायालय अतिरिक्त सभागीय आयुक्त कोटा संभाग, कोटा

(निर्णय बईजलास श्री बृजमोहन बैरवा आर0ए0एस0 अति0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 1/2023/अपील/एलआरएक्ट/कोटा
दायरा दिनांकः 10.1.2023
अन्तर्गत धाराः 76 राज0भू राजस्व अधि0, 1956

उनवान

1. रामभरोस आत्मज श्रीकृष्ण जाति माली निवासी ग्राम बन्दा तहसील कनवास जिला कोटा–राज0।
2. द्वारकी बाई पुत्री श्रीकृष्ण जाति माली निवासी ग्राम बन्दा तहसील कनवास जिला कोटा–राज0।

...अपीलांट्स

बनाम

जानकीलाल उर्फ हरलाल आत्मज जीतमल गेलड पुत्र श्री कृष्ण जाति माली निवासी ग्राम बन्दा तहसील कनवास जिला कोटा–राज़0।

... रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री रूपेश कुमार श्रृंगी अभिभाषक–अपीलांट्स
श्री घनश्याम नागर अभिभाषक – रेस्पोडेन्ट

::निर्णय::

दिनांक 26.6.2024

अपीलार्थीगण ने न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटा (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा प्रकरण सं0 316/2016 (अपील) अन्तर्गत धारा 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम बउनवान जानकीलाल बनाम रामभरोस आदि मे पारित निर्णय दिनांक 7.9.2022 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) के विरूद्ध द्वितीय अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1 अपील के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है, कि जानकीलाल द्वारा तहसीलदार लाडपुरा द्वारा पारित नामा0 आज्ञा सख्या 247 दिनांक 20.7.2016 न्याय नियम तथा तथ्यो के सर्वथा विपरीत होने से निरस्त किये जाने हेतु प्रथम अपील न्यायालय अति0 जिला कलक्टर कोटा के यहा पेश की गई। जिसे अधीनस्थ। न्यायालय ने निर्णय दिनांक 7.9.2022 से आंशिक रूप से स्वीकार कर नामा0 सं0 247 दिनांक 20.7.2016 वाकै ग्राम कीतलहेडा निरस्त कर प्रकरण न्यायालय तहसीलदार लाडपुरा को प्रकरण मे सभी पक्षकारान को सुनवाई का पूर्ण अवसर देते हुये पुनः विधि सम्मत आदेश पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया गया। प्रथम अपीलीय न्यायालय के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थीगण रामभरोस आदि ने द्वितीय अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 76 के अन्तर्गत न्यायालय हाजा मे इस आशय की पेश की गई कि ग्राम कीतलहेडा की कृषि आराजी ख0 नं0 98 रकबा 2.66 है0 व ख0 नं0 100 रकबा 1.86 है0 कुल 2 किता की 3.92 है0 भूमि अपीलांट की माता गोपालीबाई के निहित 2/9 हिस्सा का फोती नामा0 247 नियमानुसार उसके पक्ष मे तस्दीक किया गया था जिसे प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अवैध एंव गैर कानूनी रूप से निरस्त कर प्रकरण रिमांड करने मे त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नही किया कि उक्त भूमि श्रीकृष्ण

अपीलांट के पिता के लगभग 50 वर्ष पूर्व स्वर्गवास होने के उपरांत उनके निहित हिस्से की भूमि उनकी पत्नी गोपालीबाई पुत्र रामभरोस व पुत्री द्वारकीबाई के नाम फौती नामा0 से दर्ज की गई थी। इस प्रकार गोपाली बाई को उक्त भूमि अपने पति श्री कृष्ण से विरासत मे प्राप्त हुई थी। जानकीलाल रेस्पो0 श्री कृष्ण का जायन्दा पुत्र नही है गेलड पुत्र है इस कारण उसका उक्त आराजी मे कोई हक एंव अधिकार नही बनता है। इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने खिलाफ कानून जाकर नामान्तरकरण सं0 247 निरस्त कर प्रकरण को रिमांड करने मे त्रुटि की है। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानो का गलत रूप से विवेचन कर गेलड पुत्र रेस्पो0 जानकीलाल का गोपाली बाई की सम्पत्ति मे हक होना मानने मे त्रुटि की है अपीलीय न्यायालय द्वारा धारा 15 (2) (बी) का विवेचन किये बिना तथा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किये बिना तथा मियाद बाहर प्रस्तुत की गई अपील को गैर कानूनी रूप से स्वीकार कर हुक्म जेरअपील प्रदान करने मे त्रुटि की है। अतः अपील स्वीकार की जाकर जेर अपील आदेश दिनांक 7.9.2022 निरस्त किया जावे तथा तहसीलदार लाडपुरा द्वारा तस्दीक नामा0 सं0 247 ग्राम कीतलहेडा को बहाल किये जाने का आदेश प्रदान किया जावे।

2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक उभय पखकार सुनी गई।

3 विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील मे वर्णित उपर्युक्त तथ्यों को ही दोहराते हुये अपील स्वीकार कर अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटा का आदेश दिनांक 7.9.2022 खारिज किये जाने का अनुरोध करते हुये तहसीलदार लाडपुरा द्वारा तस्दीक नामा0 सं0 247 दिनाक 2.7.2016 ग्राम कीतलहेडा को बहाल किये जाने का अनुरोध करते हुये कथन किया कि वादग्रस्त भूमि श्रीकृष्ण अपीलांट के पिता के लगभग 50 वर्ष पूर्व स्वर्गवास होने के उपरांत उनके निहित हिस्से की भूमि उनकी पत्नी गोपालीबाई पुत्र रामभरोस व पुत्री द्वारकीबाई के नाम फौती नामा0 से दर्ज की गई थी। इस प्रकार गोपाली बाई को उक्त भूमि अपने पति श्री कृष्ण से विरासत मे प्राप्त हुई थी। जानकीलाल रेस्पो0 श्रीकृष्ण का जायन्दा पुत्र नही है गेलड पुत्र है इस कारण उसका उक्त आराजी मे कोई हक एंव अधिकार नही बनता है। अपने कथन के समर्थन मे एआईआर 2003 पेज 92 का न्यायिक उद्धरण पेश किया।

4 विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 ने अपनी बहस मे कथन किया कि जानकीलाल मृतक श्रीकृष्ण का जायन्दा पुत्र है और पुत्र की हैसियत से ही मृतक श्रीकृष्ण की अन्य आराजीया तमे उसका नाम दर्ज किया गया है जिसे स्वयं रामभरोस द्वारकीबाई द्वारा स्वीकार किया गया है और आज तक किसी राजस्व न्यायालय मे चुनौती नही दी गई। श्रीकृष्ण की तीन ग्राम खजूरी,बंधा,कीतलेडा मे भूमि है। ग्राम खजूरी व बंधा मे स्थित आराजीमे उसका नाम रेस्पो0 का नाम श्रीकृष्ण के पुत्र के रूप मे दर्ज है। स्वयं माता गोपालीबाई द्वारा भी विक्रय पत्र मे रेस्पो0 को श्रीकृष्ण का पुत्र होना स्वीकार किया हे। ग्राम खजूरी की आराजी के तस्दीक इंतकाल व विक्रय पत्र मे स्वयं अपीलांट्स द्वारा रेस्पो0 को अपना भाई होना स्वीकार किया है। उक्त तथ्य अपी0 की जानकारी मे होने के बावजूद भी तथ्य छिपाकर कर नामा0 तस्दीक करवा लिया जबकि कीतलहेडा की आराजी पर रेस्पो0 का कब्जा है तथा वह गोपाली बाई का पुत्र है इसके कारण उसका नाम उत्तराधिकार दर्ज होना चाहिये क्योंकि पिता का नही बल्कि माता गोपाली की मृत्यु का इंतकाल तस्दीक किया है जिसमे माता का जायन्दा पुत्र जिसमे गेलड भी शामिल है को भी उत्तराधिकार मे नामा0 दर्ज करना चाहिये था हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 15 मे हिन्दू स्त्री की दशा मे उत्तराधिकार के साधारण नियम (1) निर्वसीयत मरने वाली हिन्दु स्त्री की सम्पत्ति धारा 16 मे दिये गये नियमो के अनुसार न्यागत(डिवोल) होगी। अपने कथन के समर्थन मे धारा 14 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, धारा 15 हिन्दू उत्तराधिकार अधिकार तथा हिन्दू विधि के पेज नं0 162 की प्रति पेश की। उक्त तथ्यो के परिपेक्ष्य मे अधीनस्थ न्यायालय ने निरस्त कर प्रकरण को रिमांड किया है। अधीनस्थ न्यायालय का जेरअपील निर्णय न्यायोचित है।

5 हमने अपील एंव अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का आध्योपांत अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकार पर मनन किया तथा प्रकरण मे विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकार द्वारा प्रस्तुत न्यायिक उद्धरणो पर ध्यानपूर्वक गौर किया। आलौच्य जेरअपील निर्णय दिनांक 7.9.2022 के अवलोकन से प्रकट

33

होता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने गोपालीबाई का रेस्पो0 जानकीलाल पुत्र होने से उसका नाम उत्तराधिकार मे अंतरित होना माना है। जानकीलाल, गोपालीबाई का पुत्र न हो ऐसा कोई दस्तावेज पत्रावली पर नही है। वादग्रस्त आराजी का नामा0 सं0 247 दिनांक 20.7.2016 वाके ग्राम कीतलहेडा पिता का नही बल्कि रेस्पो0 जानकीलाल की माता गोपालीबाई की मृत्यु उपरांत तस्दीक किया गया है जिसमे माता का जायन्दा पुत्र जिसमे गैलड भी शामिल है का भी उत्तराधिकार मे नामान्तरकरण दर्ज करना चाहिये था। हिन्दु उत्तराधिकार की धारा 15 मे हिन्दु स्त्री की दशा मे उत्तराधिकार मे साधारण नियम (1) निर्वसीयत मरने वाली हिन्दु स्त्री की सम्पत्ति धारा 16 मे दिये गये नियमों के अनुसार न्यागत (डिवोल) होगी। मृतक माता की सम्पत्ति मे उसकी सभी संतानों का हक होता है। प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा आलौच्य जेरअपील निर्णय दिनांक 7.9.2022 मे प्रकट उक्त अभिमत हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 15 व 16 के आलोक मे विधिसम्मत होने से हस्तगत अपील प्रकरण मे विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक उद्धरण एआईआर 2003 पेज 92 हमारे विनम्र मत अनुसार चस्पा नही होता है। अधीनस्थ न्यायालय ने हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम मे निहित उक्त प्रावधानो के आलोक मे जानकीलाल (रेस्पो0) द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर नामा0 सं0 247 दिनांक 20.7.2016 वाके ग्राम कीतलहेडा को निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार लाडपुरा को सभी पक्षकारान को सुनवाई का पूर्ण अवसर देते हुए पुनः विधि सम्मत आदेश पारित करने हेतु निर्णय दिनांक 7.9.2022 से प्रतिप्रेषित किया है जिसमे हम किसी प्रकार का विधिक एंव तथ्यात्मक दोष नही पाते है। लिहाजा अधीनस्थ न्यायालय का जेरअपील निर्णय 7.9.2022 न्यायोचित होने से अपीलांट्स रामभरोस आदि द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज किये जाने योग्य है। परिणामस्वरूप उपरोक्त बिवेचन अनुसार अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

6 निर्णय आज दिनांक 26.6.2024 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(बृजमोहन बैरवा)
अति0 संभागीय आयुक्त
कोटा